संख्या-7/1054/22-4-14-102(ब)/11

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 16 सितम्बर,2014

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुद्रढ किये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश की 10 कारागारों में अत्याधुनिक डिटेक्टर एफजी-1 सिक्योरिटी पोल "एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 21805/आधु0/सि0पो0/2014, दिनांक- 06 अगस्त, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदढ किये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश की 10 कारागारों में अत्याधुनिक डिटेक्टर एफजी-1 सिक्योरिटी पोल "एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु रू0 1,32,82,000/'(रूपया एक करोड बत्तीस लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/ उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) यू0पी0 डेस्को द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एंव सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-15 तक कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रायोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर व्यय किस जायेगा। व्यय की पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रो एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-27-7-2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/1054(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in